



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | WEST CHAMPARAN
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



सेवा में

पत्रांक: SSA/RTE/943

दिनांक - 05/05/22

अध्यक्ष, वसुस्थानक / प्रबंधक
केन्द्रीय प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, 8
शिक्षा केंद्र, 2 कम्प्यूनिटी सेंटर 8

विषय :- बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 18 के उपबन्धनार्थ बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा निम्नानुसार नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रत्येकता का प्रमाण पत्र।

सहायक

आपके आवेदन व दिनांक 22-09-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक आपके विद्यालय SANSKAR VIDYALAYA AT-PAKADIYA, PAKADIYA, 845458, कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु जैन वर्ष 22-09-2021 से 22-9-2024 अवधि के लिए औपचारिक प्रतीकृति प्रदान की जा रही है।

प्रदत्त प्रतीकृति निम्न बातों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रत्येक तिथि की भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुसूचक-1) तथा बिहार राज्य मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुसूचक-2) का अनुसार आवश्यक रूप से सुनिश्चित करने।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 से बच्चों के नामांकन की मुक्त क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 कक्षाओं में करेगा। यहाँ के कक्षाओं के बच्चों को जहाँ तक संभव हो सके उतना प्रोत्साहित किया जाएगा। परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इन का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कठिनाई में उद्भूत बच्चों के मामले में विद्यालय की बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के अन्तर्गत में निर्धारित राशि की प्राप्ति होगी। प्रतिपूति की जानकारी राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाते का संचालन करेगा।
5. स्कैलरशिप : विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्रोत्साहित किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्कैलरशिप टेस्ट नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की दिस्तारित अवधि के बाद तथा वर्ष, जति, जन्म स्थान आदि कारणों या किसी एक कारण के आधार पर इनकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे।

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोकथाम नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक वि निकाशित किया जाएगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में सिकांश। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वाहन करने।

(viii) शिक्षक विधि सार पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों एवं पाठ्यक्रमों का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के आलोक में विद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों का नामांकन करेगा।

(V) प्रस्तावना/पत्र-सह कार्यालय सह-भंडार साक्ष्य :- 1

(VI) छात्रक तथा छात्रिकाओं के लिये अलग-अलग बोलचाल - Indian, Boys :- 5 Girls :- 5

(VII) प्रेषण की सुविधा :- 5

(VIII) मध्यम भोजन के लिये शर्तें :- 1

(IX) साधारणतः पहुँच :- 1

(X) शिक्षण-अभियोग सामग्री सॉल-बुद्ध उपकरण/पुस्तकस्थ पुस्तकालय - BLACKBOARD, DUSTER, CHALK, REGISTER, MARKER, ETC. BAT, BALL, BADMINTON, LUDO, KARRON BOARD, VOLLEYBALL ETC. (Y, 800, NewsPaper Magazine :- 2)

11. कोई भी अपरवीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संबन्धित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1980 (1980 का 24) के अन्तर्गत निर्धारित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से 13 संघटित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के रूप अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संबन्धित नहीं होगा।

15. सेवा का अंशदान एवं उसका प्रमाणीकरण नॉटर्स एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आशोक में उपयुक्त सेवा विवरणी तैयार की जाएगी। नॉटर्स सेवा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष विद्यालय अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आगके-विद्यालय को आवंटित प्रतीकृत कोड संख्या [28310382021822164333, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का प्रस्ताव करने में इस कोड को संकेत एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के स्तर पर प्रतीकृत की शर्तों के तत्पश्चात् रूप से पूरा करने की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संघटन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्दिष्ट अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाइटी के निर्वाचन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुसूचक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

विद्यालय अध्यक्ष
801

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, WEST BHOJPARAN
सह-सचिव प्रशासकीय समिति
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार